प्रकरण संख्या 41/19 2019/00191 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

हरिमोहन सिंह पुत्र तेजसिंह आयु 33 साल जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

1. शत्रुधन सिंह पुत्र तेजसिंह आयु 40 साल
2. पुक्ष्पा देवी वेवा तेजसिंह आयु 65 साल
3. ललतेश आयु 35 साल
4. विमलेश आयु 31 साल
5. कमलेश आयु 29 साल
6. शंकरसिंह पुत्र जयसिंह आयु 60 साल
7. राजकुमारी वेवा शंकरसिंह आयु 79 साल
8. शकुन्तला देवी आयु 58 साल
9. सन्तोष देवी आयु 50 साल
10. तहसीलदार करौली हाल तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

– रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 01.01.2002 न्यायालय तहसीलदार करौली बाबत नामान्तकरण संख्या 298 गाम रामपुरा स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध तहत धारा 75 एल. आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 28.08.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नामांतरकरण संख्या 298 निर्णय दिनांक 01.01.2002 ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर पूर्व तहसील करौली वर्तमान तहसील मासलपुर में सरपंच द्वारा सजरा में हरिमोहन सिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर सत्यभान सिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज किये जाने के कारण पटवारी द्वारा सत्यभानसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम नामांतरकरण खोला गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि नामांतरकरण संख्या 298 निर्णय दिनांक 01.01.2002 ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर पूर्व तहसील करौली वर्तमान तहसील मासलपुर खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरवेट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 10, विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर से गलत सजरा दर्ज कराकर अपीलाण्ट का नाम हरिमोहनसिंह के स्थान पर सत्यभान सिंह दर्ज कराकर गलत तौर पर विरासत नामांतरकरण में अपीलाण्ट का नाम हरिमोहनसिंह के स्थान पर सत्यभान सिंह दर्ज किया गया है और एक ही दिन में गिरदावर हल्का द्वारा बिना जांच किये तुलना की है और अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 10 द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर कर विधि विरूद्ध रूप से नामांतरकरण स्वीकृत दिनांक 01.01.2002 को किया गया है जो एकपक्षीय है। अपीलाण्ट का सही व वास्तविक नाम सत्यभानसिंह नही होकर हरिमोहनसिंह है और अपीलाण्ट के समस्त सरकारी कागजात आधारकार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस आदि में अपीलाण्ट का नाम हरिमोहनसिंह ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का नाम जैर अपील नामांतरकरण में विधि विरूद्ध रूप से गलत दर्ज किया गया है जो बिना आधार है। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 27.06.2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान

जिला कलक्टर करौली

निधि की राशि के लिए ऑनलाईन आवेदन करने को नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 पटवारी हल्का से लेने पर अपीलाण्ट का नाम हरिमोहनसिंह के स्थान पर सत्यभानसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर एवं उसी दिन पटवारी हल्का से नामांतरकरण संख्या 298 दिनांक 01.01.2002 की नकल लेने पर हुयी है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त नामांतरकरण व निर्णय दिनांक 01.01.2002 की जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। दिनांक 01.01.2002 से दिनांक 27.06.2019 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है जानकारी दिवस दिनांक 27.06.2019 से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 298 निर्णय दिनांक 01.01.2002 बाबत ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर पूर्व तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई को तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड किये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ता 6 व 8 तथा 9 का बहस में कथन है कि नामांतरकरण संख्या 298 निर्णय दिनांक 01.01.2002 में सत्यभान सिंह पुत्र तेजसिह गलत दर्ज किया गया है जबकि उक्त विवादित नातांतरकरण में सत्यभान सिंह पुत्र तेजभानसिंह के स्थान पर हरिमोहनसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज किया जाना चाहिये था। विवादित नामांतरकरण में दर्ज सत्यभान सिंह के स्थान पर हरिमोहनसिंह दर्ज किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आई।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 10 का बहस में कथन है कि विवादित नामांतरकरण के संदर्भ में सत्यभानसिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर हरिमोहनसिंह पुत्र दर्ज करने हेतु यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), गोनेर जयपुर द्वारा दिनांक 10.05.2000 को जारी अंकतालिका कक्षा 8 रोल नं. 66224 विद्यालय शिव बाल निकेतन जमनापुरी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर से जारी टी.सी. दिनांक 24.08.2001 में भी हरिमोहनसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज है। उभय पक्षकारान विवादित नामांतरकरण में सत्यभानसिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर हरिमोहनसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज किये जाने पर सहमत हैं। अतः हम अपील, अपीलाण्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 298 निर्णय दिनांक 01.01.2002 ग्राम रामपुरा पूर्व तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर को सत्यभानसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार मासलपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके अभिलेख के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली